सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 333/2008 गत नम्बर (52/2008)

वादीगण

1.औंकारमल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी जिलिया
2.भागूराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी जिलिया

प्रतिवादीगण

1. डूंगाराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
2. बुधाराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
3. गोपालराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
4. हेमाराम पुत्र जवाराराम जाति जाट निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
5. दानाराम पुत्र जवाराराम जाति जाट निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
6. तीलोकाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी

दावा – स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4/11/15

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 1108 रकबा 1.23 हैक्टर वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । प्रतिवादीगण के उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार के हक हकूक नही है । प्रतिवादी हेमाराम ने वादीगण के पूर्वी तरफ का पड़ौसी है । प्रतिवादीगण ने वादीगण को उपर्युक्त भूमि उन्हे दे देने हेतु 5–7 दिन पूर्व कहा तो वादीगण ने मना कर दिया तो प्रतिवादीगण वादीगण को धमकी दे गए कि अगर अब वे ताकत के बल पर वादीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके वादीगण को बेदखल कर देंगे तथा आयन्दा वादीगण को काश्त इत्यादि नही करने देगें । जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक नही है । प्रतिवादीगण संख्या बल व ताकत व प्रभुत्व के बल पर वादीगण को बेदखल करने में सफल हो गए तो वादीगण के जायज अधिकारो पर बेजा कुठाराघात होगा तथा अपूर्तिनीय क्षति होगी । इसलिए वाद लाना आवश्यक हुआ । वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 1108 रकबा 1.23 हैक्टर में वादीगण के कब्जा काश्त व भूमि के उपयोग उपभोग के अधिकारो में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का दखल रूकावट नही डाले । वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें । खर्चा मुकदमा वादीगण को दिलाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो भी वादीगण के हक में हो,प्रदान करावें ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे । जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । सुनवाई दौरान प्रतिवादीगण 1 से 3 द्वारा एक–पक्षीय कार्यवाही निरस्त का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । तत्पश्चात अधिवक्ता एवं पक्षकार अनुपस्थित रहने से एक तरफा सुनवाई की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने ग्राम जिलिया के खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 1108 की नकल सम्वत 2061–64 ,2065–68 की सत्य प्रति प्रस्तुत की । मौखिक साक्ष्य में वादीगण ने वादी औंकारमल का शपथ–पत्र तथा गवाह के रूप में रामेश्वरलाल चूनाराम के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1108 वादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेवजह ही परेशान किया जा रहा है जिन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

आदेश

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 1108 रकबा 1.23 हैक्टर वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग व अधिकारो में वे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे तथा नही अपने एजेन्टो से ऐसा करावें ।

आदेश आज दिनॉक 04/11/2015 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)